सम्पदा योगेश वाघधड़े

बनाम

स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य

(दीवानी अपील संख्या 4056/2019, 22 अप्रैल 2019)

**[ न्यायमूर्तिगणः अशोक भूषण और के.एम. जोसेफ]**

**<u>महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965</u>**

धारा, 44(1)(ई) के तहत अयोग्यता–नगर पार्षद/परिषद के अध्यक्ष के पति या पत्नी द्वारा अनाधिकृत निर्माण के लिए अवधारित है कि एक पार्षद यानी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करने का मामला गंभीर है जिसे कठोर साक्ष्य से सिद्ध होना चाहिए। हालांकि धारा 44(1)(ई) के लिए युक्तियुक्त निर्वचन की आवश्यकता है। यदि उपबन्ध के आवश्यक अवयव पूर्ण होते है तभी उसे लागू किया जाना चाहिए। पार्षद, पति अथवा उसके पत्नी एवं आश्रित के द्वारा किया गया अस्थायी अवैध निर्माण/संरचना धारा 44(1)(ई) के अन्तर्गत रिष्टि की श्रेणी में आता है जिसका परिणाम पार्षद की अयोग्यता होगी जिसके लिए पार्षद अयोग्य घोषित होगा।

44(1)(ई) की प्रकृतिः धारा 44(1)(ई) एक स्वतंत्र दायित्व उत्पन्न करता है– यह प्रावधान न तो आपराधिक कार्यवाही पर निर्भर है, न ही न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित होगा कि किया गया अनाधिकृत निर्माण का परिणाम दण्डात्मक होंगे।

**न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अवधारित किया कि–**

1.1 महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 की धारा 44(1)(ई) के तीन भाग है। धारा 44(1)(ई) का पहला अंग अन्य बातों के साथ–साथ घोषणा करता है कि यदि किसी पार्षद ने स्वयं निर्माण किया है या निर्माण करता है [जिसमें एक महिला पार्षद द्वारा किया गया निर्माण भी शामिल होगा], तो यह प्रावधान के प्रकोप को आमंत्रित करेगा। पार्षद को अयोग्य घोषित करने हेतु पर्याप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निर्माण जो अवैध या अनधिकृत है, नगर परिषद अधिनियम या महाराष्ट्र क्षेत्रीय या नगर नियोजन अधिनियम या उक्त के तहत बनाए गए नियमों या उपनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अग्रेतर कि धारा के पहले अंग को आकर्षित करने के लिए पार्षद का पति या पत्नी या आश्रित द्वारा उपरोक्तानुसार कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण करता है। संक्षेप में, यदि पार्षद, उसका जीवनसाथी या आश्रित उपरोक्तानुसार कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण किया जाना ही पर्याप्त है, तो यह पार्षद को उपरोक्तानुसार अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त है। धारा 44(1)(ई) में अंतर्निहित नीति यह सुनिश्चित करना है कि पार्षद और पार्षद के परिवार के निकटतम सदस्यों द्वारा उच्चतम स्तर की ईमानदारी बनाए रखी जाए। इसमें पार्षद को उसके जीवनसाथी या आश्रित द्वारा किये गए अवैध निर्माण के तथ्य की जानकारी होना आवश्यक नहीं है।

1.2 धारा 44(1)(ई) का दूसरा अंग यह उपबन्ध करता है कि यदि कोई पार्षद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवैध या अनाधिकृत निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है अथवा पार्षद की हैसियत से ऐसे

निर्माण में सहयोग किया है तब वह धारा 44(1)(ई) के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरा अंग यद्यपि पार्षद, पति या पत्नी या आश्रित द्वारा निर्माण से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन जहां तक इस तरह के किसी भी अवैध या अनाधिकृत निर्माण के परिणामस्वरूप पार्षद को अयोग्य घोषित करने का प्रश्न है, तो इस दशा में पार्षद की प्रत्यक्ष भागीदारी या उसकी मदद को स्थापित किया जाना चाहिए। यह स्थापित करना होगा कि पार्षद अवैध या अनधिकृत निर्माण को अंजाम देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार रहा है या पार्षद के रूप में अपनी हैसियत से सहयोग की है।

1.3 धारा 44(1)(ई) के तीसरे अंग का निम्नलिखित प्रभाव हैः यदि किसी पार्षद ने लिखित संसूचना द्वारा किसी भी अवैध या अनाधिकृत निर्माष को ध्वस्त करने में किसी सक्षम प्राधिकारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डाली या रोकने की कोशिश की, तो पार्षद धारा 44(1)(ई) के तहत अयोग्य होगा। यदि पार्षद ने किसी भी अवैध या अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने में किसी सक्षम प्राधिकारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में शारीरिक रूप से बाधा डाली है या बाधा डालने की कोशिश की है तो उस दशा में भी अंतिम अंग आकर्षित होगा।

1.4 इस प्रकार विधायिका ने स्पष्ट रूप से पार्षद द्वारा किया गया अवैध या अनाधिकृत निर्माण तथा निर्मित अवैध या अनाधिकृत संरचना के बीच अंतर किया है, क्योंकि यह विधायी मंशा थी कि पार्षद ऐसा कोई निर्माण नहीं करेगा और वह अपने पति/पत्नी या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण को रोकने की स्थिति में भी होगा। तथ्य यह है कि अवैध निर्माण की रोक पार्षद के जीवनसाथी अथवा आश्रित द्वारा किया गया अवैध निर्माण उन व्यक्तियों से भिन्न है जो उसके निकट सम्बन्धी नहीं है।

1.5 धारा 44(1)(ई) के दूसरे अंग में आने वाले शब्द "ऐसा अवैध या अनाधिकृत निर्माण" को पार्षद, उसके पति/पत्नी या आश्रित द्वारा किये गये निर्माण के सन्दर्भ में और ऐसे मामलें में, शब्द "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी" और शब्द पार्षद के रूप में उसकी सहायता के सन्दर्भ में करना होगा। ऐसी व्याख्या अनुचित परिणाम उत्पन्न करेगी। जब पार्षद स्वयं निर्माण करता है तब शब्द "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किये गये " एवं पार्षद की एवं पार्षद की हैसियत से सहायता प्रदान करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। धारा 44(1)(ई) के पहले अंग का साधारण अर्थ यह है कि यादि पार्षद द्वारा स्वयं अवैध निर्माण किया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप उसकी अयोग्यता होगी। पति या पत्नी या आश्रित के मामले में पार्षद की हैसियत में ऐसे निर्माण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होने या सहायता करने की वैधानिक आवश्यकता भी नहीं है। एक ओर पति/पत्नी और पार्षद और दूसरी ओर आश्रित व पार्षद के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए ऐसे अवैध या अनाधिकृत "निर्माण करना" शब्द उस निर्माण के संदर्भ में है जो टाउन प्लानिंग के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अधिनियम, एम. आर. टी. पी. अधिनियम अथवा उन प्रावधानों के तहत बनाये गए नियम और उपनियम का उल्लंघन करता है।

1.6 यह सत्य है कि पार्षद को अयोग्य घोषित करना गंभीर मामला है। संविधान में 73 वें संशोधन के बाद, स्थानीय निकायों के पार्षद, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक रूप से चुने गए लोगों के प्रतिनिधि है। यह भी सत्य है कि चुनाव याचिका के मामले में, प्रतिवादी के खिलाफ मामला कठोरता से साबित होना

चाहिए। हालांकि, धारा 44(1)(ई), जो विधायिका द्वारा निर्धारित है, के लिए उचित व्याख्या की आवश्यकता है और यदि अवयवपूर्ण हो जाते है तभी उसे पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।

1.7 यदि अस्थायी निर्माण किया जाता है तो वह भी धारा 44(1)(ई) के अंतर्गत रिष्टि में आएगा। दूसरे शब्दों में, यदि पार्षद, पति या पत्नी या आश्रित द्वारा अवैध रूप से अस्थायी निर्माण या संरचना तैयार की गयी है, तो उसकी अयोग्यता होगी। वास्तव में एक से अधिक अस्थायी निर्माण किए गये थे। कलेक्टर के आदेश से प्रकट हो रहा है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्यानुसार कुल निर्माण में 5 अस्थायी निर्माण थे और जिन्हें निःसंदेह हटा दिया गया था।

2. यह सत्य नहीं है कि अनाधिकृत निर्माण के कारण आपराधिक कार्यवाही भी होती है, इसलिए धारा 44(1)(ई) के तहत कार्यवाही नहीं होगी। धारा 44(1)(ई) एक स्वत्रंत दायित्व उत्पन्न करती है या इसके तहत दिए गये प्रावधान के अनुसार अयोग्यता पैदा करती है। यह आपराधिक कार्यवाही के विरूद्ध है, न्यायालय के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया , जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि धारा 44(1)(ई) के तहत कार्यवाही से पहले एक आपराधिक कार्यवाही और उसके तहत सजा होनी चाहिए। धारा 44(1)(ई) जैसा कि यह है, न तो इससे पहले की आपराधिक कार्यवाही पर निर्भर है और न ही अदालत इस तथ्य से प्रभावित होगी कि अनधिकृत निर्माण करने पर दण्डात्मक परिणाम होंगे।

**<u>सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4056/2019</u>**

**<u>रिट याचिका संख्या 4647/2018 में न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 19–04–2018 से।</u>**

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागणः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे, सुश्री ग्वेनकार्तिका, सुश्री आभा आर. शर्मा।

उत्तरदाताओं की ओर सेः– कुणाल चीमा, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अमोल चितले, श्रीमती प्रज्ञा बघेल।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति श्री के.एम. जोसेफ द्वारा सुनाया गया

1. विशेष याचिका प्रस्तुति की अनुमति– स्वीकृत

2. अपीलकर्ता जो नगर पार्षद के रूप में चुना गया था, बाद में 11–05–2015 को परिषद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। अपीलकर्ता के पति ने अनधिकृत निर्माण किया था, अपीलकर्ता को महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत और औघोगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 (संक्षेप में " महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम")की धारा 44(1)(ई) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। धारा 44(1)(ई) इस प्रकार है कि– इस अधिनियम, या महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 या इसके तहत बनाए गए नियमों या उप–नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्वयं, अपने पति या पत्नी या अपने आश्रित द्वारा किसी भी अवैध या अनधिकृत निर्माण को करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार रहा है, या ऐसे पार्षद के रूप में अपनी क्षमता से मदद की है या लिखित संचार द्वारा या शारीरिक रूप से बाधा डाली है या किसी भी सक्षम प्राधिकारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने की कोशिश की है।"

3. द्वितीय उत्तरदाता के आवेदन दिनांक 26–09–2016 के आधार पर अयोग्यता की गई। प्रारंभ में, कलेक्टर ने दिनांक 04–05–2017 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को अयोग्य पाया। उसके द्वारा की गई अपील असफल रही। उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में वैधानिक आदेशों को चुनौती दी। उच्च न्यायालय नें आलोच्य आदेशानुसार याचिका खारिज कर दी।

4. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने ध्यान आकृष्ट कराया कि अपीलकर्ता के पति, जिन्होंने कथित तौर पर अनधिकृत निर्माण किया था। महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम की धारा 45(5) के अधीन अनुमति मानी जायेगी। आगे यह भी तर्क दिया कि न्यायालय इस बात पर विचार कर सकता है कि अवैध गतिविधि करने पर दण्डात्मक प्रावधान आकर्षित होता है और यह एक गंभीर मामला है एवं आलोच्य आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं तथा उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि धारा 44(1)(ई) के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता को उसके पति द्वारा किये गए कथित अवैध निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

6. इसके विपरीत उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अनिवार्य रूप से तर्क दिया कि न्यायालय यह विचार कर सकती है कि तथाकथित डीम्ड अनुमति के आधार पर जो निर्माण किया गया है वह अपीलकर्ता को अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। हालांकि, उन्होंने केवल यह तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने अस्थायी संरचना का निर्माण किया है।

7. अपीलकर्ता की ओर से उत्तरदातागण के अधिवक्तागण के द्वारा अपीलकर्ता के पति द्वारा कथित अवैध निर्माण के तर्कों के जवाब में यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश में ऐसा विशेष विचार नहीं किया गया है। मामला अयोग्यता से जुड़ा होने के कारण अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

8. पहला विवाद जिसे हम विचार करेंगे वह यह है कि, अपीलकर्ता के पति द्वारा किये गए निर्माण ही केवल अधिनियम की धारा 44(1)(ई) को आकर्षित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। हम भयभीत है कि अपीलकर्ता का तर्क इस संबंध में संधार्य नहीं हैं। धारा 44(1)(ई) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसके तीन भाग हैं।

9. धारा 44(1)(ई) का पहला अंग अन्य बातों के साथ–साथ यह घोषित करता है कि यदि किसी पार्षद नें स्वयं निर्माण किया है या निर्माण करता है [ जिसमें एक महिला पार्षद द्वारा किया गया निर्माण भी शामिल होगा], तो यह प्रावधान के प्रकोप को आमंत्रित करेगा और यह पार्षद को अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम या महाराष्ट्र क्षेत्रीय या नगर नियोजन अधिनियम {संक्षेप में एम.आर.टी.पी. अधिनियम} या इसके तहत बनाए गये नियमों या उपनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया निर्माण अवैध व अनाधिकृत है। उक्त अधिनियम, इसके अलावा पहले अंग को आकर्षित करने के लिए, यह पर्याप्त है। यदि पार्षद का पति या पत्नी या आश्रित उपरोक्तनुसार कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण करता है। संक्षेप में, यदि पार्षद, उसका

जीवनसाथी या आश्रित उपरोक्तानुसार कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण करता है, तो यह पार्षद के लिए अयोग्यता के लिए पर्याप्त है। हमें धारा 44(1)(ई) को वैसे ही लेना होगा जैसा वह है।
उक्त प्रावधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया है। प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह विचार करना प्रासंगिक नहीं है कि क्या पार्षद उस निर्माण में किसी भी तरह से पक्षकार थी, जो उसके पति या पत्नी या आश्रित द्वारा किया गया था। प्रावधानों में, अंतनिर्हित नीति यह सुनिश्चित करती है कि पार्षद और पार्षद के परिवार के निकटतम सदस्यों द्वारा ईमानदारी का उच्चतम स्तर बनाए रखा जाए। इसमें पार्षद को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि निर्माण उसके पति या पत्नी या आश्रित द्वारा किया जा रहा है। हमें कानून को वैसे ही लेना है जैसे वह है और विधायिका की मंशा को पूरा करना है।

10. धारा 44(1)(ई) के दूसरे अंग में प्रावधान है कि यदि कोई पार्षद ऐसे अवैध या अनधिकृत निर्माण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है या पार्षद के रूप में अपनी हैसियत से सहयोग करता है, तो पार्षद इसके तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो जाता है। धारा 44(1)(ई) का दूसरा भाग पार्षद उसके जीवनसाथी या आश्रित द्वारा किये गए निर्माण से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन जहां तक इस तरह के किसी भी अवैध या अनधिकृत निर्माण के परिणामस्वरुप पार्षद को अयोग्य घोषित करने का प्रश्न है, तो इस मामले में पार्षद की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी या उसके सहयोग को स्थापित किया जाना चाहिए। यह स्थापित करना होगा कि पार्षद अवैध या अनधिकृत निर्माण को अंजाम देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार रहा है या पार्षद के रूप में अपनी क्षमता से सहयोग की है। धारा 44(1)(ई) के तीसरे अंग का निम्नलिखित प्रभाव है। यदि एक पार्षद लिखित संसूचना द्वारा किसी भी सक्षम प्राधिकारी को उसके पद के निर्वहन में किसी भी अवैध या अनधिकृत निर्माण को गिराने में बाधा डालता है तो धारा 44(1)(ई) के तहत अयोग्यता होगी। यदि पार्षद ने भी कसी सक्षम प्राधिकारी को उसके पद के निर्वहन करने से रोकने की शारीरिक रूप से बाधा डाली या रोकने की कोशिश की जिसे किसी भी अवैध या अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का कर्तव्य है तो भी अंतिम अंग आकर्षित होगा। इस प्रकार विधायिका ने स्पष्ट रूप से अवैध या अनधिकृत निर्माण के बीच अंतर किया है।

विधायी मंशा यह है कि, पार्षद कोई अवैध निर्माण नहीं करेगा और वह अपने पति या पत्नी अथवा उसके आश्रित द्वारा किये गये अवैध या अनधिकृत निर्माण को रोकने की स्थिति में होगा। तथ्य यह है कि निर्माण के विरूद्ध प्रतिबंध आश्रित द्वारा निर्माण के खिलाफ है न कि किसी रिश्तेदार या उस पर आश्रित व्यक्ति के खिलाफ, यह भी संकेत है कि पति या पत्नी या आश्रित द्वारा अवैध निर्माण ऐसे व्यक्तियों जो पार्षद से इतने निकट से संबंधित न हों, से एक अलग स्तर का है।

11. धारा 44(1)(ई) के दूसरे अंग में आने वाले शब्द "अवैध या अनाधिकृत निर्माण" को पार्षद उसके पति या पत्नी या आश्रित द्वारा किये गये निर्माण को सन्दर्भित करने के लिए कहा जा सकता है, और ऐसे मामले में, शब्द "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी" और शब्द "या पार्षद के रूप में अपनी क्षमता से मदद की लागू करना होगा।" हमारे विचार में ऐसी व्याख्या अनुचित परिणाम उत्पन्न करेगी। जब पार्षद स्वयं निर्माण करता है, तो या इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, " या उसने पार्षद की हैसियत से सहयोग की है" शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। धारा 44(1)(ई) के पहले अंग का स्पष्ट अर्थ यह है कि पार्षद द्वारा स्वयं निर्माण के मामलें में, जो अवैध है, इसके परिणामस्वरूप अयोग्यता हो सकती है। पार्षद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवैध निर्माण करने के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं हैं कि उसने पार्षद की हैसियत से निर्माण में सहायता

या मदद की हैं। अथवा उसके पति/पत्नी या आश्रितों द्वारा निर्माण किया गया है। एक ओर पति/पत्नी और पार्षद तथा दूसरी ओर आश्रित और पार्षद के बीच घनिष्ठ संबंध को ध्यान में रखते हुए, "ऐसे अवैध या अनाधिकृत निर्माण करना" शब्द का संदर्भ ऐसे निर्माण से है जो टाउन प्लानिंग के प्रावधानो का उल्लंघन करता है। अधिनियम. एमआरटीपी अधिनियम या उन प्रावधानों के तहत बनाए गए नियम और उपनियम। अपीलकर्ता के उक्त तर्क को निपटारा करने के बाद, हमें अन्य तर्कों पर विचार करने के लिए अग्रसारित होना चाहिए।

12. यह सत्य है कि पार्षद को अयोग्य ठहराना गंभीर मामला है, संविधना के 73 वें संशोधन के बाद स्थानीय निकायों के पार्षद, जमीनी स्तर पर जनता के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि है। यह निससंदेह सत्य है कि चुनाव याचिका के मामले में प्रतिवादी के खिलाफ मामला सख्ती से साबित होना चाहिए हालाँकि, धारा 44(1)(ई), जो विधायिका द्वारा निर्धारित है, के लिए उचित व्याख्या की आवश्यकता है, यदि अवयव स्थापित हो जाती है, तो इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए।

13. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता के पति द्वारा किया गया निर्माण दो भागों में है। डीम्ड अनुमति के आधार पर निर्माण कराया गया है। डीम्ड अनुमति के संबंध में उत्तरदातागण की ओर से उठाया गया बिन्दु कि, निर्माण करने के पूर्व निर्माण की अनुमति होने पर भी नोटिस दिया जाना था, स्थानीय निकाय पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यह विवादित नहीं है कि उपरोक्त विनियमन स्वयं प्रस्तुत मामलें पर लागू नहीं होता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि डीम्ड अनुमति के आधार पर बनाया गया मामला प्रभावी नहीं है और इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध अनाधिकृत निर्माण का दबाव नहीं डाला जा सकता और हमें इससे निपटने की आवश्यकता भी नहीं हैं।

14. हमें केवल अस्थायी निर्माण के प्रभाव के प्रश्न को तय करना है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अगर अस्थायी निर्माण किया जाता है तो वह भी धारा 44(1)(ई) के दायरें में आएगा। दूसरे शब्दों में, यदि पार्षद, पति या पत्नी या आश्रित द्वारा अवैध रूप से अस्थायी निर्माण या संरचना बनाई गई है, तो अयोग्यता होगी।

15. हम अपीलकर्ता के इस तर्क में बल नहीं पाते है कि अनाधिकृत निर्माण के कारण आपराधिक कार्यवाई भी होती है, इसलिए धारा 44(1)(ई) के तहत कार्यवाहीं नहीं की जायेगी। धारा 44(1)(ई) उपबन्धित योग्यता के बजाय एक स्वतन्त्र प्रक्रिया है। यह आपराधिक कार्यवाही के विपरीत है, हमारें संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि धारा 44(1)(ई) के तहत कार्यवाही से पहले एक आपराधिक कार्यवाही और उसके तहत सजा होनी चाहिएं। समान रूप से, यह तर्क भी कि अनाधिकृत निर्माण से धारा 44(1)(ई) के तहत अयोग्यता होने पर आपराधिक दायित्व भी उत्पन्न होता है। हमारा विचार है कि इस तर्क में कोई बल नहीं है और धारा 44(1)(ई), जैसा कि यह मौजूद है, न तो इससे पहले की किसी आपराधिक कार्यवाही पर निर्भर है और न ही अदालत इस तथ्य से प्रभावित होगी कि अनाधिकृत निर्माण करना अवैध होगा।

16. अब अस्थायी संरचना से सम्बन्धित ही एक मात्र विवाद शेष है। हमारा ध्यान एसएलपी पेपर बुक के पृष्ठ 55 पर प्रस्तुत आवेदन की ओर से आकर्षित किया गया। यह बताया गया है कि जिस

निर्माण के लिए अनुमति मांगी गई थी और जिसके संबंध में डीम्ड अनुमति का दावा किया गया है, वह अस्थायी निर्माण से संबंधित नहीं थे। विशेष रूप से, हमारा ध्यान कॉलम 26 की ओर आकर्षित किया गया जिसमें निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के बारे में विवरण है। इसमें स्तंभ की छतों के सम्मुख आर.सी.सी का होना और फर्श को "सेरेमिक टाइल्स" का दर्शित होना, कॉलम की दीवारों के सम्मुख पत्थरों की चिनाई दर्शित होना और कॉलमों के विरूद्ध आर.सी.सी. का होना उल्लिखित है।

उत्तरदाताओं द्वारा हमारा ध्यान कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के निम्नलिखित पैराग्राफ की तरफ आकर्षित कराया गया जिस पर अपीलार्थीगण का तर्क आधारित है–"श्रमिकों के अस्थायी निवास के लिए शेड का निर्माण किया गया है और इसके लिए नगर परिषद की अनुमति आवश्यक नहीं है। हालांकि इसके लिए भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया।"

इससे यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया कि अपीलार्थी द्वारा किये गए अस्थायी निर्माण में अनुमति कि आवश्यकता नहीं थी। उत्तरदाताओं की ओर से यह बिन्दु उठाया गया कि वास्तव में एक से अधिक निर्माण किया गया है। कलेक्टर के आदेश में यह दर्शित है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्यानुसार किये गये निर्माणों में से 5 अस्थायी निर्माणों को निस्संदेह योगेश वाघधड़े द्वारा हटा दिया गया है।

17. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि अयोग्यता से संबंधित मामलें में उम्मीदवार के विरूद्ध मामले का निष्कर्ष पूर्णतया विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। हम इस मत के है कि पारित किये गये आदेश में हम कोई हस्तक्षेप करने का मामला नहीं पाते हैं। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं उठाया गया कि अस्थायी निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त की गई थी।

अपील खारिज की गई। हर्जों हेतु कोई आदेश नहीं।

Translated/vetted by :-
Akhilesh Kumar Pathak,
(Special Judge SC/ST Act), Court No. 02, Shahjahanpur